



Skill Development and Industrial Training Department,
Headquarters: Chandigarh

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हांसी (हिसार)
व नरवाना (जीन्द)
यादी क्रमांक स्थापना-III/ए-1/टीई/126/34/डी.सी.रेट/2017/6107
दिनांक: 29/03/2017
विषय:- अनुबन्ध आधार पर चयन होने उपरान्त प्रार्थियों को कार्यग्रहण करवाने
बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की हिदायतों अनुसार वैल्डर अनुदेशकों के रिक्त पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने के लिये कमेटी द्वारा तैयार की गई मैरिट/चयन सूची के आधार पर जो पार्थी मैरिट में वरिष्ठ थे उन्हें निदेशालय के पत्र दिनांक 7.3.2017 के अनुसार संस्थान अलाट कर दिये गये थे लेकिन श्री यशवीर सिंह ने अपनी बुरे लू परिस्थितियों के कारण अन्य संस्थान में कार्यग्रहण करवाने का अनुरोध किया था। जिसको पुनः संस्थान अलाट करते हुये ब्यौरा निम्न अनुसार दिया जाता है :-

Degree/ Diploma (Welder)

SR. No	Name of Candidate/ Address	Catagery	Name of Institute	Remarks
1	Yshveer S/o Sh. Kalam Singh, VPO Ikkas Distt. Jind	Gen	G.I.T.I. Hansi (Hisar) Now G.I.T.I Narwana (Jind)	Against vacant post

संस्थानों के मुख्या को आदेश दिये जाते हैं कि वह सम्बन्धित व्यवसाय में दाखिला पूर्ण होने की स्थिति में ही प्रार्थी से नियमानुसार उनके मूल दस्तावेजों का निरीक्षण करते हुए Service Agreement करने उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर अन्दर कार्यग्रहण करवाया जाये और उसकी कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति तुरन्त निदेशालय को भिजवाये। इसके साथ-साथ उसकी शैक्षणिक योग्यता /अनुभव प्रमाण पत्रों की वैरीफिकेशन करवाई जाये, यदि किसी प्रार्थी का कोई प्रमाण पत्र गलत/बोगस पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तुरन्त समाप्त करते हुये निदेशालय को सूचित किया जाये। CWP No.21132 of 2016 में दिनांक 14.12.2016 को माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा निर्देश दिये हैं कि the appointment made, if any in pursuance to the advertisement dated 25.4.2016 shall be subject to the outcome of this petition. इन आदेशों को उम्मीदवारों के Agreement में अंकित किया जाए।

29/3/2017

सयुक्त निदेशक (तकनीकी)
कृते: निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक
प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

cc. सहायक निदेशक/नोडल ऑफिसर (वैब साईट)